खनिजों से संबंधित राज्यों का अधिकार

संदर्भ: *हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की नौ न्यायाधीशों की पीठ ने 8-1 के बहुमत से दिए गए फैसले में कहा है कि राज्यों के पास खनिज निष्कर्षण पर रॉयल्टी लगाने, खानों और खदानों वाली भूमि पर कर लगाने का अधिकार है।*

➢ **परीक्षण कानूनी मामले की पृष्ठभूमि -**

- **नौ न्यायाधीशों की पीठ तक मामले की पहुँच** : रॉयल्टी एक प्रकार का कर है या नहीं, इस विषय पर पुराने निर्णयों के बीच विवाद होने के कारण एक निर्णायक समाधान के लिए नौ न्यायाधीशों की पीठ गठित करने की आवश्यकता हुई।
- **बहुमत द्वारा दिया गया मत:** बहुमत द्वारा दिए गए फैसले में कहा गया कि भारतीय संघवाद केंद्रीय प्राधिकरण की ओर झुका हुआ है जबकि राज्यों के पास आवश्यक संवैधानिक कार्य करने की शक्ति हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि रॉयल्टी, करों से अलग है और राज्य संवैधानिक सीमाओं के भीतर खनिज विकास पर कर लगा सकते हैं।
- **रॉयल्टी को करों से अलग करना:** पीठ ने पाया कि रॉयल्टी सार्वजनिक करों के बजाय संविदात्मक भुगतान हैं, इसलिए वे करों की श्रेणी में नहीं आते हैं।
- **राज्य कराधान की शक्तियाँ** : राज्य खनिज विकास और खदानों वाली भूमि पर कर लगा सकते हैं, बशर्ते वे संसद द्वारा लगाई गई सीमा का पालन करें। निर्णय में स्पष्ट किया गया है कि संसदीय सीमाओं में प्रतिबंध शामिल हो सकते हैं, लेकिन अनिवार्य रूप से निषेध नहीं।

➢ **असहमतिपूर्ण राय के संदर्भ में विश्लेषण -**

- **रॉयल्टी की परिभाषा** : असहमति जताने वाले पक्ष में तर्क दिया गया कि रॉयल्टी को लगातार खनिज विकास सुनिश्चित करने के लिए इसे कर के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। राज्य करों की अनुमति देने से MMDRA के उद्देश्य में कमी आ सकती हैं।
- **वैधानिक प्राधिकरण** : एमएमडीआरए केंद्र को खनिज विकास पर नियामक प्राधिकरण देता है और यह राज्यों को रॉयल्टी से परे अतिरिक्त कर नहीं लगाने पर बोल देता है।
- **संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या** : यह तर्क दिया गया कि राज्य सूची की प्रविष्टि 49 राज्यों को खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने की शक्ति प्रदान नहीं करती है तथा प्रविष्टि 50 के तहत परिभाषित रॉयल्टी पर ही ध्यान केन्द्रित किया जाता है।

रॉयल्टी और टैक्स के बीच अंतर

➢ **रॉयल्टी -**

- दो पक्षों के बीच एक समझौते से उत्पन्न होता है, जो अधिकारों और विशेषाधिकारों के लिए मुआवजे का प्रतिनिधित्व करता है।
- यह अनुदानकर्ता द्वारा दिए गए लाभ या विशेषाधिकार से सीधे जुड़ा हुआ होता है।
- यह समझौता विशिष्ट, अक्सर संसाधन शोषण या विशेषाधिकार के उपयोग से जुड़ा हुआ है।
- उदाहरण के लिए हिंगिर-रामपुर कोल कंपनी लिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य (1961) और पश्चिम बंगाल राज्य बनाम केसोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (2004) ने रॉयल्टी को प्रत्यक्ष लाभ के साथ संविदात्मक दायित्व के रूप में स्थापित किया है।

➢ **कर**

- यह वैधानिक प्राधिकरण के अंतर्गत लगाया जाता है, जो भुगतानकर्ता को दिए गए किसी विशेष लाभ से जुड़ा नहीं है।
- यह सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए कानून द्वारा लागू है, जहाँ करदाता को कोई विशेष लाभ नहीं होता है।
- अनिवार्य भुगतान, किसी विशेष विशेषाधिकार या लाभ से संबंधित नहीं।
- उदाहरण: हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम गुजरात अंबुजा सीमेंट लिमिटेड (2005) और जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य (2017) में प्रत्यक्ष लाभ के बिना करों को सामान्य भार के रूप में उजागर किया गया है।

➢ **खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 -**

- भारत के खनन क्षेत्र को विनियमित करने वाला प्रमुख कानून, जिसका उद्देश्य विकास, खनिज संरक्षण और परिचालन पारदर्शिता है।

➢ **2015 का संशोधन -**

- **नीलामी पद्धति:** इस अंतर्गत अधिक पारदर्शिता के लिए खनिज रियायतों की अनिवार्य नीलामी शुरू की गई।
- **जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ):** इसे खनन से प्रभावित क्षेत्रों की सहायता के लिए स्थापित किया गया है।
- **राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एनएमईटी):** इसे खनिज अन्वेषण को बढ़ाने के लिए बनाया गया है।
- **अवैध खनन के लिए दंड:** अवैध खनन को रोकने के लिए कठोर दंड लगाया गया।

➢ **2016 और 2020 का संशोधन -**

- परिचालन और नियामक ढांचे को सुव्यवस्थित करने के लिए क्षेत्र-विशेष मुद्दों पर ध्यान दिया गया है।

➢ **2021 में संशोधन -**

- **कैप्टिव और मर्चेंट माइंस:** इस तरह के भेद को हटा दिया गया है, जिससे कैप्टिव माइंस को उत्पादन का 50% तक खुले बाजार में बेचने की अनुमति मिल गई है, जबकि मर्चेंट माइंस खनिजों को वाणिज्यिक रूप से बेच सकती हैं।
- **केवल नीलामी रियायतें:** इसके अंतर्गत सभी निजी क्षेत्र की खनिज रियायतों के लिए अनिवार्य नीलामी की जाती है।

➢ **2023 का संशोधन**

- **महत्वपूर्ण खनिज:** महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और नीलामी को सुविधाजनक बनाने के लिए परमाणु खनिजों की सूची से छह खनिजों को हटा दिया गया है।
- **अन्वेषण लाइसेंस:** इसे विदेशी निवेश को आकर्षित करने और महत्वपूर्ण खनिजों की खोज में छोटे खनन कंपनियों को शामिल करने के लिए शुरू किया गया है।
- **लक्ष्य:** इसमें आयात पर निर्भरता कम करना, निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना तथा भविष्य की प्रौद्योगिकियों और ऊर्जा संक्रमण लक्ष्यों का समर्थन करना शामिल है।

ओलंपिक का विकास

संदर्भ *: वर्ष 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, जिसे आधिकारिक तौर पर XXXIII ओलंपियाड के खेल के रूप में जाना जाता है, 26 जुलाई से 11 अगस्त, 2024 तक फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित होने वाला है।*

➢ **पेरिस 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक-**

- इसमें पेरिस मुख्य मेजबान शहर होगा तथा यूरोपीय फ्रांस के 16 अन्य शहर भी इसमें भाग लेंगे।
- फ्रेंच पोलिनेशिया का एक द्वीप ताहिती, खेलों के लिए एक उप-स्थल की मेजबानी करेगा।
- 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक से COVID-19 महामारी की समस्या के बाद ओलंपिक पारंपरिक चार साल के चक्र पर वापस लौट आएगा।
- यह संस्करण लॉस एंजिल्स में 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और ब्रिस्बेन में 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए मंच तैयार करेगा।

- **ऐतिहासिक महत्व -**
  - पेरिस को 13 सितंबर, 2017 को पेरू के लीमा में 131वें आईओसी सत्र के दौरान खेलों की मेजबानी सौंपी गई थी।
  - यह पेरिस में तीसरी बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी होगी और यह 1924 के पेरिस खेलों की शताब्दी के अवसर पर आयोजित होगा।
  - फ्रांस छह बार ओलंपिक की मेजबानी कर चुका है, जिसमें से आखिरी बार फ्रांस ने अल्बर्टविले में 1992 के शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी की थी।
- **ओलंपिक लोगो और आदर्श वाक्य**
  - 1913 में पियरे डी कोबेर्टिन द्वारा निर्मित ओलंपिक रिंग्स में सफेद पृष्ठभूमि पर नीले, पीले, काले, हरे और लाल रंग के पांच इंटरलॉकिंग वृत्त हैं, जो पांच महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
  - इसका मूल आदर्श वाक्य "सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस" ("तेज़, उच्चतर, मजबूत") 1894 में प्रस्तावित किया गया था।
  - 2021 में, आदर्श वाक्य को "सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस - कम्युनिटर" में परिवर्तित किया गया, जिसमें एकता पर जोर देने के लिए "कम्युनिटर" ("एक साथ") जोड़ा गया है।
- **हाल ही में जोड़े गए खेल**

टोक्यो 2020 में पांच नए खेल शामिल किए गए:

- सर्फिंग
- स्केटबोर्डिंग
- स्पोर्ट क्लाइम्बिंग
- कराटे
- बेसबॉल/सॉफ्टबॉल

पेरिस 2024 में शामिल नए खेल:

- ब्रेकिंग
- कयाक क्रॉस
- कलात्मक तैराकी (पुरुष)

- **ओलंपिक खेल का अवलोकन**
  - ओलंपिक खेल प्रत्येक चार वर्ष में आयोजित होने वाले प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बहु-खेल आयोजन हैं।
  - प्राचीन ओलंपिक 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से चौथी शताब्दी ईसवीं तक ग्रीस के ओलंपिया में आयोजित होते थे।
  - आधुनिक ओलंपिक को 1896 में पियरे डी कुबर्तिन द्वारा पुनर्जीवित किया गया तथा पहला खेल एथेंस में आयोजित किया गया था।
  - अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) खेलों के आयोजन और मंचन की देखरेख करती है। मेज़बान शहरों का चयन बोली प्रक्रिया के ज़रिए किया जाता है और वे आवश्यक बुनियादी ढाँचा उपलब्ध कराने के लिए ज़िम्मेदार होते हैं।
- **ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक**
  - ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में एथलेटिक्स, तैराकी और जिम्नास्टिक जैसे खेल शामिल हैं और गर्मियों के दौरान दुनिया भर के विभिन्न शहरों में आयोजित किए जाते हैं।
  - शीतकालीन ओलंपिक में स्कीइंग और आइस हॉकी जैसे ठंडे मौसम के खेलों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिनका आयोजन उपयुक्त शीतकालीन परिस्थितियों वाले शहरों में किया जाता है।
- **ओलंपिक मशाल रिले -**
  - ओलंपिक मशाल रिले निरंतरता, एकता और प्रतिस्पर्धा का प्रतीक है और इसकी जड़ें प्राचीन ग्रीक पौराणिक कथाओं में हैं।
  - 1936 के बर्लिन खेलों के लिए इस परंपरा को पुनर्जीवित किया गया, जिसमें एक प्रतीकात्मक मशाल ओलंपिया से बर्लिन ले जाई गई।
  - रिले में विविध प्रतिभागियों को शामिल किया गया है तथा अंतिम मशालवाहक की पहचान को उत्सुकता बनाए रखने के लिए गुप्त रखा गया है।
  - समय के साथ मशाल रिले अधिक समावेशी हो गई है, 1972 के म्यूनिख खेलों के बाद से महिलाएं और विकलांग व्यक्ति भी इसमें भाग ले रहे हैं।
  - यह मशाल खेलों के शुरू से अंत तक जलती रहेगी, जो आशा, एकता और एथलेटिक उत्कृष्टता का प्रतिनिधित्व करती है।

विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति (SOFI)

संदर्भः *SOFI रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 में 713 से 757 मिलियन लोग या वैश्विक स्तर पर 11 में से 1 व्यक्ति, भूख की समस्या का सामना करेगा।*

- **खाद्य सुरक्षा और पोषण हेतु वित्तपोषण तक पहुंचः**
  - विश्लेषण में निम्न एवं मध्यम आय वाले लगभग 63% देशों में खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए वित्तपोषण तक सीमित या मध्यम पहुंच है।
  - इसके बावजूद, इनमें से 74% देश खाद्य असुरक्षा और कुपोषण जैसे प्रमुख कारकों से प्रभावित हैं।
  - वित्तपोषण की सीमित पहुंच वाले देशों में कुपोषण 23.1% की व्यापकता अधिक है, जबकि वित्तपोषण की मध्यम पहुंच वाले देशों में 10.4% और वित्तपोषण की उच्च पहुंच वाले देशों में 6.9% है।
  - बच्चों में बौनेपन की दर में भी ऐसी ही प्रवृत्ति देखी गई है, हालांकि ऐसे अंतर कम स्पष्ट हैः सीमित पहुंच वाले देशों में यह दर 23.9% है, जबकि मध्यम पहुंच वाले देशों में यह दर 20.9% है।
  - भूख और खाद्य असुरक्षा के उच्च स्तर वाले देशों को संरचनात्मक सीमाओं का सामना करना पड़ता है, जो खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए वित्तपोषण बढ़ाने की उनकी क्षमता में बाधा डालती हैं।
- **खाद्य सुरक्षा के लिए आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए): -**
  - 24 जुलाई को प्रकाशित एसओएफआई रिपोर्ट से पता चला कि कुल आधिकारिक विकास सहायता का 25% से भी कम हिस्सा खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए आवंटित किया जाता है।
  - 2017 से 2021 तक, खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए वार्षिक सहायता 76 बिलियन डॉलर था, जिसमें से केवल 34% ही खाद्य असुरक्षा और कुपोषण के प्रमुख कारणों से संबंधित है।
  - अधिकतर देश वैश्विक पोषण लक्ष्यों को प्राप्त करने में पीछे रह गए हैं।
- **सार्वजनिक व्यय और खाद्य सुरक्षा:**
  - इस रिपोर्ट में कृषि पर बढ़ते सरकारी खर्च और पांच वर्ष से कम आयु के अधिक वजन वाले बच्चों के उच्च प्रतिशत के बीच संबंध पाया गया है।
  - **संभावित समस्या के कारण हैं -**
    - सार्वजनिक व्यय में पोषण-संवेदनशील कार्यों या स्वस्थ खाद्य वातावरण के लिए मदद की कमी हो सकती है।

- मुख्य खाद्य पदार्थों पर सब्सिडी से अस्वास्थ्यकर, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ सस्ते हो जाना, जबकि फल और सब्जियां महंगी हो जाना हैं।
- पोषण कार्यक्रमों में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के माध्यम से बच्चों के अधिक वजन की समस्या का समाधान किया जा सकता है।

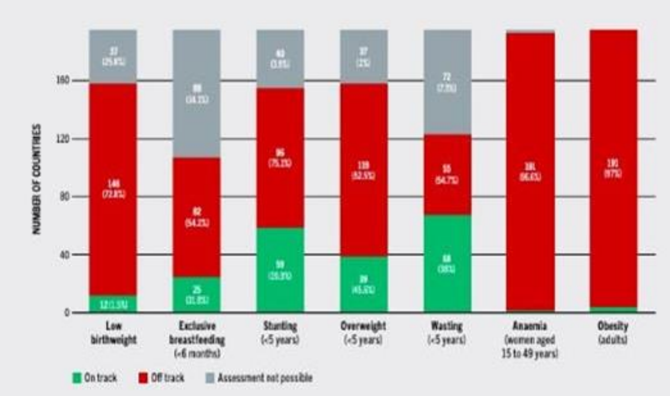

➤ **खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए वित्तपोषण की नई परिभाषा:**

- इस रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए वित्तपोषण की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक नई, मानकीकृत परिभाषा और दृष्टिकोण की मांग की गई है तथा वर्तमान में नीतिगत अस्पष्टता और पर्याप्त ध्यान की कमी का संदर्भ दिया गया है।
- इस क्षेत्र में वित्तपोषण प्रवाह के लिए कोई परिभाषा या मानक नहीं है, जो खाद्य सुरक्षा और कुपोषण को दूर करने के प्रयासों को बल देता हो।
- प्रस्तावित परिभाषा: खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए वित्तपोषण में घरेलू और विदेशी दोनों सार्वजनिक और निजी संसाधन शामिल हैं, जिनका उद्देश्य भूख, खाद्य असुरक्षा और कुपोषण को मिटाना है।

➤ **भारत की खाद्य सुरक्षा और पोषण:**

- भारत की आधी से अधिक जनसंख्या (55.6%) स्वस्थ आहार का खर्च नहीं उठा सकती, जो दक्षिण एशियाई औसत (53.1%) से अधिक है तथा पाकिस्तान (58.7%) के बाद दूसरे स्थान पर है।
- यह आंकड़ा 2017 में 69.5% से कम हो गया था।
- यह रिपोर्ट विविधता, पर्याप्तता, संयम और संतुलन के आधार पर स्वस्थ आहार को परिभाषित करती है।
- भारत में खाद्य सुरक्षा पर व्यय का 83% हिस्सा खाद्य उपभोग पर खर्च किया जाता है, जिसमें से केवल 15% ही खाद्य असुरक्षा और कुपोषण के प्रमुख कारणों पर ध्यान देता है।
- मई की एक रिपोर्ट में भारत की अस्वास्थ्यकर भोजन की खपत में वृद्धि पर प्रकाश डाला गया था, जिसमें 38% जनसंख्या अस्वास्थ्यकर भोजन खाती है और केवल 28% लोग सभी पांच अनुशंसित खाद्य समूहों का उपभोग करते हैं।

➤ **वैश्विक एवं क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा:**

- वैश्विक स्तर पर 35.4% लोग स्वस्थ आहार का खर्च नहीं उठा सकते, जिनमें से 64.8% अफ्रीका में और 35.1% एशिया में हैं।
- वर्ष 2021 और वर्ष 2023 के बीच, भारत में 194.6 मिलियन कुपोषित लोग थे, जो जनसंख्या का 13.7% है।
- वर्ष 2022 में, 21.9 मिलियन बच्चे (18.7%) वेस्टिंग से प्रभावित होंगे और 36.1 मिलियन बच्चे (31.7%) अविकसित होंगे।
- पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में कुपोषण का स्तर एशिया में सबसे अधिक है।

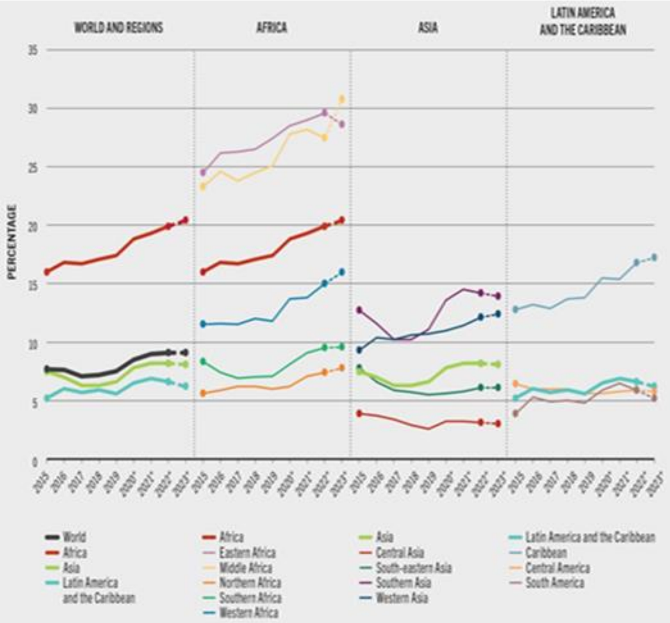

NEWS IN BETWEEN THE LINES

कारगिल विजय दिवस

आज, 26 जुलाई, 2024 को, भारत के प्रधानमंत्री ने कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर 545 शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की, और कारगिल युद्ध के "वीर नायकों" का सम्मान किया।

कारगिल विजय दिवस के बारे में:

- कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है।
- यह दिन 1999 में पाकिस्तान द्वारा कारगिल युद्ध में लड़ी गई भारतीय सशस्त्र सेना की विजय का स्मरण है।
- वर्ष 2024 में कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ है।
- **3 मई, 1999** को भारत ने कब्जे वाले क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए **'ऑपरेशन विजय'** शुरू किया।
- कारगिल युद्ध, जिसे कारगिल संघर्ष भी कहा जाता है, **3 मई से 26 जुलाई 1999** के बीच जम्मू-कश्मीर के कारगिल जिले में नियंत्रण रेखा (एलोसोमी) के साथ हुआ था।
- युद्ध का समापन **26 जुलाई, 1999** को भारतीय क्षेत्र की पुनः प्राप्ति और कब्जे वाली स्थिति से विदेशी सैनिकों को छुड़ाने के साथ हुआ।
- भारत और पाकिस्तान ने 1999 में लाहौर में एकाकी पर हस्ताक्षर किए थे ताकि कश्मीर मुद्दे का तरल पदार्थ हो सके।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

- भारत और पाकिस्तान ने 1999 में लाहौर समझौते पर हस्ताक्षर किए थे ताकि कश्मीर मुद्दे का शांतिपूर्ण समाधान हो सके।
- राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, जिसे 2019 में इंडिया गेट के पास उद्घाटन किया गया, में चार एकाग्र वृत्त हैं जो बलिदान और वीरता के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT)

हाल ही में, आयकर (I-T) रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई को बढ़ाए जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पोर्टल गड़बड़ियों को संबोधित किया है और बढ़ते कार्यभार को संभालने के लिए अपनी बैक-एंड क्षमता को बढ़ाया है।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के बारे में:

- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का हिस्सा है।
- यह एक सांविधिक प्राधिकरण है, जो केंद्रीय राजस्व अधिनियम, 1963 के तहत स्थापित किया गया था।
- यह सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर और आईजीएसटी के लेवी और संग्रह से संबंधित नीतियों के निर्माण के कार्य में शामिल है।
- यह अपने अधिकार क्षेत्र में तस्करी को रोकने और सीमा शुल्क और मादक पदार्थों से संबंधित मामलों का प्रबंधन करता है।
- इसमें एक अध्यक्ष और छह पदेन विशेष सचिव सदस्य होते हैं, जिनमें आयकर, विधायन और कंप्यूटरीकरण, राजस्व, कार्मिक और सतर्कता, जांच और लेखा परीक्षा और न्यायिक कार्यों के लिए सदस्य शामिल होते हैं।
- अध्यक्ष केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का समन्वय करता है, और प्रत्येक सदस्य को एक विशेष कार्य सौंपा जाता है, दोनों भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) से चयनित होते हैं।

मुथा नदी

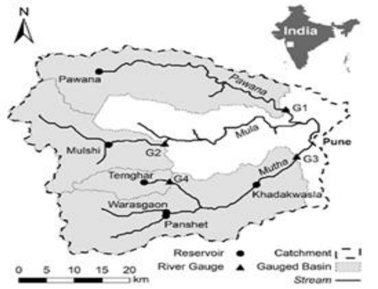

हाल ही में, पुणे जिले, महाराष्ट्र में भारी बारिश के कारण मुथा नदी में पानी का स्तर बढ़ गया, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ आ गई और कुछ लोगों की मृत्यु हो गई।

मुथा नदी के बारे में:

- मुथा नदी पश्चिमी महाराष्ट्र की एक नदी है, जो पश्चिमी घाटों में उत्पन्न होती है और पूर्व की ओर बहती है और पुणे शहर में मुला नदी में मिलती है।
- इसमें दो सहायक नदियाँ हैं, अंबी और मोशी, जो मुथा में खडकवासला बांध के ऊपर मिलती हैं। यह बांध 1880 में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था।
- मुला नदी के साथ मिलने के बाद, मुथा नदी मुला-मुथा नदी बन जाती है, जो अंततः कृष्णा नदी की एक सहायक नदी भीमा नदी में मिलती है, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
- नवंबर 2023 में, राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA) ने पुणे नगर निगम (PMC) को बंड गार्डन के पास निर्माण कार्य रोकने का निर्देश दिया था, जिसमें तीन नदी खंड शामिल थे।

शिंकुन ला टनल

आज भारत के प्रधानमंत्री लद्दाख में शिंकुन ला सुरंग परियोजना का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे।

शिंकुन ला टनल के बारे में:

- शिंकुन ला टनल लद्दाख क्षेत्र में, विशेष रूप से जास्कर घाटी में स्थित है।
- शिंकुन ला टनल एक 4.1 किमी मोटर योग्य ट्विन-ट्यूब टनल है, जो हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी को लद्दाख की जंस्कार घाटी से जोड़ने वाले 15,580 फीट ऊंचे शिंकु-ला दर्रे के नीचे बनाई जाएगी।
- यह टनल निमू-पदुम-दरचा रोड लिंक का हिस्सा होगी और इसे सीमा सड़क संगठन (BRO) द्वारा बनाया जा रहा है।
- शिंकुन ला टनल के पूरा होने पर यह दुनिया की सबसे ऊंची टनल होगी, जो लेह को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी।
- यह टनल लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क पहुंच को सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना है और यात्रा समय को कम करने में मदद करेगी।
- यह टनल लंबी दूरी की तोपखाने की गोलाबारी और मिसाइल हमलों से सुरक्षा भी प्रदान करेगी, जिससे इस क्षेत्र में रक्षा क्षमताओं में सुधार होगा।
- परियोजना के 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है।

भरचुक्की जलप्रपात

हाल ही में, भारी बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण भरचुक्की जलप्रपात में जल प्रवाह बढ़ गया है।

भरचुक्की जलप्रपात के बारे में:

- भरचुक्की जलप्रपात कर्नाटक के चामराजनगर जिले में स्थित है, जो शिवानासमुद्र जलप्रपात समूह का हिस्सा है।
- कावेरी नदी 75 मीटर की गहरी घाटी से बहते हुए इस जलप्रपात को बनाती है और यह दो शाखाओं में विभाजित होती है, जो शिवानासमुद्र के द्वीप शहर को घेरती हैं।
- भरचुक्की जलप्रपात, 90 मीटर ऊँचे गगनचुक्की जलप्रपात के साथ मिलकर, शिवानासमुद्र जलप्रपात का निर्माण करते हैं, जो चामराजनगर और मांड्या जिलों की सीमा को चिन्हित करता है।
- शिवानासमुद्र जलप्रपात में 1902 में बनी एशिया की पहली जलविद्युत शक्ति स्टेशन में से एक है।
- जलप्रपात से उत्पन्न बिजली मैसूर, बंगलौर और कोलार गोल्ड फील्ड्स को आपूर्ति करती है। कुछ लोग कहते हैं कि जलप्रपात देखने का सबसे अच्छा समय बारिश के बाद का मौसम होता है।

Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029

dhyeyaias.com

POINTS TO PONDER

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन के किन दो हॉलों का नाम बदल दिया गया है और उनके नए नाम क्या हैं? – **दरबार हॉल का गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल का अशोक मंडप**
- हाल ही में, 55वें और 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI) के लिए महोत्सव निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? – **शेखर कपूर**
- हाल ही में, शोधकर्ताओं ने भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में चुंबकीय कणों के जीवाश्म अवशेषों की खोज की है? – **लद्दाख**
- मेटा ने हाल ही में किस नए ओपन-सोर्स एआई मॉडल का अनावरण किया है? – **लामा 3.1**
- भारत ने प्रशांत महासागर के किस क्षेत्र में गहरे समुद्र में खनिजों की खोज के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण (ISA) से लाइसेंस के लिए आवेदन करने की योजना बनाई है?

  – क्लैरियन-क्लिपर्टन जोन